न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 333 / 2017

उनवान

1. बालु पिता नारायण अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मोडा पिता गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. ज्वारा पिता गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. सॉवरिया उर्फ सॉवरा पिता गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. प्यारी बेवा गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. मांगी लाल पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. सूरजमल पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
7. रमेश पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
8. शांति पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
9. छोटी पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
10. धापू पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

11. धन्नी पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
12. सरजु बेवा हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 48/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 127.2.2017

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12 अनुपस्थित
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 10.02.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 एक ही परिवार के सदस्य होकर उनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :—

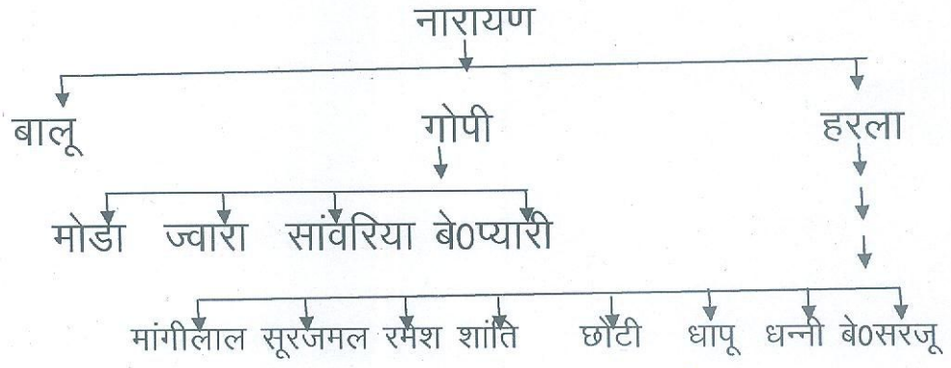

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. वादी एवं उनके भाई गोपी तथा हरला की सामलाती एवं अविभक्त पुश्तैनी आराजियात ग्राम जाडोली एवं ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा तहसील बिजौलिया में स्थित होकर दोनों मौजो की आराजियात पास–पास ही स्थित है। खातेदार बालू,गोपी,हरला पिता नारायण अहीर सा.देह खातेदार के नाम आराजी नम्बर 196 रकबा 0.17, आराजी नम्बर 228 रकबा 3.19, आराजी नम्बर 230 रकबा 2. 05,आराजी नम्बर 249 रकबा 2.05, आराजी नम्बर 285 रकबा 5.05, आराजी नम्बर 192 रकबा 3.19, आराजी नम्बर 319 रकबा 2.06, आराजी नम्बर 320 रकबा 1.07, आराजी नम्बर 322 रकबा 0.14, आराजी नम्बर 424 रकबा 2.17, आराजी नम्बर 425 रकबा 1.17, आराजी नम्बर 427 रकबा 1.03, आराजी नम्बर 430 रकबा 0.07, आराजी नम्बर 438 रकबा 2.00, आराजी नम्बर 462 रकबा 0.12 कुल किता 15 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा स्थित है इसी प्रकार ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा में खातेदार नारायण सरदार पिता जस्सा 1/6, तोला, किशना पिता हजारी, सोजी, मु0 दोला बबिलायत सुन्दर बेवा दोला1/6, गोपी हरला पिता नारायण 1/6, देबी पिता गोदा 1/6, सा0 जाडोली भवाना पिता दोला 1/6 धाकड सा0 गोपाल निवास खातेदार के नाम आराजी नम्बर 81 रकबा 4.14, आराजी नम्बर 83 रकबा 2. 15, आराजी नम्बर 84 रकबा 0.16, आराजी नम्बर 88 रकबा 7.06, आराजी नम्बर 90 रकबा 27.17, आराजी नम्बर 94 रकबा 3.10 कुल किता 6 कुल रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात में 1/6 हिस्स वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के दर्ज रेकार्ड है शेष 5/6 हिस्सा अन्य खातेदारान का अविवादित होकर वाद से संबंधित नहीं होकर वाद की विषयवस्तु नहीं है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. सन् 1993 तक उक्त आराजियात वादी एवं उनके मृतक भाई गोपी व हरला द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जाती रही है। मई 1993 में वादी व तत्कालीन खातेदार हरला व गोपी ने उक्त दोनों मौजों में स्थित आराजियात का मौखिक पारिवारिक विभाजन कर ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात जो वाद पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित है को वादी अकेले के हिस्से में रखी गई जो करीब 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि बनती है एवं ग्रम जाडोली में स्थित आराजियात मे वादी के हिस्से में आराजी नम्बर 322, 424/1, 425/1, 427 व 430 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा जरिये विभाजन आई । इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के पूर्वज गोपी पिता नारायण के हिस्से में मौजा जाडोली की आराजी नम्बर 230, 228/1, 292/1, 249, 285/2, 319/2, 320/2, 424/3, 425/3, 438/2 व 462 कुल किता 11 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 के पूर्वज हरला पिता नारायण के हिस्से में ग्राम जाडोली स्थित आराजी नम्बर 196, 228/2, 292/2, 285/1, 319/1, 320/1, 424/2, 425/2, 438/1 कुल किता 9 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि आपसी विभाजन से आई। सन् 1993 से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। मौजा जाडोली की उक्त वर्णित आराजियात का आपसी सहमति से वादी व मृतक गोपी तथा हरला ने कर दस्तावेज का निष्पादन करा राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 4.6.93 को निर्णित करा राजस्व रेकार्ड में अंकन करा लिया जिसके अनुसार जमाबंदी में अंकन चला आ रहा है। मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात अन्य खातेदारान के मध्य सामलाती होकर तत्कालीन समय में वादी व उनके

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दोनों भाई गोपी व हरला के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज रेकार्ड थी शेष 5/6 हिस्सा अन्य खातेदान के नाम दर्ज था इस कारण आपसी सहमति से विभाजन नहीं हो सका और आज भी वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा की उपर वर्णित आराजियात में दर्ज चला आ रहा है। जबकि मई 1993 में हुए मौखिक व आपसी विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं रहा। मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा की समस्त आराजियात वादी को प्राप्त होने के कारण ही मौजा जाडोली में वादी को मात्र 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि आपसी बंटवाडे से दी गई थी एवं मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजी में मृतक गोपी व हरला का हिस्सा इसी कारण नहीं रखा । क्योंकि इसके बदले उन्हें मौजा जाडोली में अधिक भूमि देकर उसकी पूर्ति कर ली गई।

4. प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 12 का नाम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात में बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड होने के कारण उनकी नियत में लोभ व फितुर उत्पन्न होने लग गया था तथा वादी के हिस्से की उक्त आराजियात को अपनी स्वयं की बताकर वादी के कब्जे व स्वामित्व में दखल करने की धमकी जुलाई 2014 में वादी को देना प्रारंभ कर दिया और राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज लाभ अर्जित करने हेतु उक्त आराजियात को विक्रय करने की धमकी देने लग गये। अतः इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 81, 83, 84, 88, 90, 94 कुल किता 6 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार अकेला वादी है एवं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का उक्त आराजी से कोई सबंध नहीं होकर राजस्व रेकार्ड से उनका नाम हटाया जावे। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस आशय की विभाजन की डिक्री भी पारित की जावे कि मौजा रामपुरिया उर्फ चोपडा की उक्त आराजियता के 1/6 हिस्सा जरिये पारिवारिक विभाजन अकेले वादी की आराजी होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के हिस्से में मौजा जाडोली की आराजियात होकर उनका मौजा रामपुरिया में कोई हिस्सा नहीं है साथ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित किये जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियत पर कब्जा वादी का है जिसके उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें एवं वादी को बेदखल नही करें व उक्त आराजियात को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2017 द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों में अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 52–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के दो भाई गोपी व हरला होकर नारायण के पुत्र है। जिनकी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

राजस्व आराजियात ग्राम झाडोली में कुल किा 15 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा तथा ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा में किता 6 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा भूमि में 1/6 हिस्सा अपीलार्थी तथा गोपी व हरला की सामलाती अविभक्त पुश्तैनी आराजियात संवत 2046 से 2049 की जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त सामलाती दोनों खातों की आराजियात का वर्ष 1993 में मौखिक पारिवारिक विभाजन खातेदारान ने कर लिया। जिसके तहत ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात में सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा जो करीब 7 बीघा 16 बिस्वा बनती है वह अपीलार्थी के हिस्से में रहकर ग्राम झाडोली में स्थित आराजियात में आराजी नम्बर 322, 424/1, 425/1, 427 व 430 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आई। इसी प्रकार झाडोली की आराजियात में 15 बीघा 4 बिस्वा गोपी पिता नारायण के हिस्से मे व 12 बीघा 14 बिस्वा हरला पिता नारायण के हिस्से में विभाजन से आई। इस प्रकार सन् 1993 से अपीलार्थी व खातेदारान उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 380दिनांक 4.6.1993 को ग्राम झाडोली की उक्त वर्णित आराजियात का आपसी सहमति से बंटवाडा दर्ज करवा लिया गया जिसके तहत अपीलार्थी के हिस्से में उपर वर्णित 3 बीघा 15 बिस्वा जमीन खाते में दर्ज रेकार्ड की गई एवं शेष 7 बीघा 16 बिस्वा जमीन ग्राम रामपुरिया की कब्जे मे रहीं। इसी अनुसार उपर वर्णित आराजियात खातेदार गोपी व हरला पिता नारायण के नाम पर जरिये विभाजन दर्ज होकर अलग–अलग खाते में दर्ज हुई।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रामपुरिया की आराजियात 5/6 हिस्सा अन्य खातेदारान का सामलाती दर्ज रेकार्ड था । इस कारण उनके मध्य सहमति से बंटवाडा नहीं होने के कारण अपीलार्थी का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हिस्सा अलग से दर्ज रेकार्ड नहीं हो सका, और मौजा रामपुरिया के 1/6 हिस्से में गोपी व हरला पिता नारायण व उनके वारिसान का नाम बराबर दर्ज रेकार्ड सन् 1993 के बाद चला आ रहा है किन्तु उनका कब्जा किसी प्रकार से नहीं रहा है। वादी अपीलार्थी ने इस वाद पत्र के द्वारा इस आशय की घोषणात्मक डिक्री चाही थी कि मौजा रामपुरिया के खाते में दर्ज 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार अकेला वादी अपीलार्थी को घोषित फरमाया जाकर गोपी व हरला पिता नारायण तथा उनके वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को खारिज करने में विधिक भूल की है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अपनी उपस्थित नहीं देकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार वादी अपीलार्थी के वाद का कोई खण्डन व विरोध नहीं कर प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वीकार किया गया है , ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्र निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड तथा वादी अपीलार्थी के बयानों से सन् 1993 में हुए मौखिक विभाजन की पुष्टि हो रही है जिसमें ग्राम झाडोली की 1/3 हिस्से की भूमि में मात्र 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलार्थी को प्राप्त हुई । जिसका कारण वाद में अंकित तथ्यों से हो रहा है कि रामपुरिया की समस्त आराजियात अकेले अपीलार्थी को प्राप्त हुई है। इस साक्ष्य का कोई खण्डन रेकार्ड पर नहीं होकर इसी अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिये था और यह तथ्य निर्विवाद है

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कि ग्राम झाडोली की आराजियात में आपसी विभाजन को जरिये नामान्तरकरण मान्यता प्रदान की गई है, इससे स्पष्ट है कि नारायण जी के तीनों लडकों के मध्य मौखिक बंटवाडा सन् 1993 में हो चुका था और सभी इस बंटवाडे से सहमत थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में अंकित कथनों साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित विश्लेषण नहीं कर मात्र यह मान लिया कि वादी अपीलार्थी को ग्रम झाडोली की जमाबंदी में हिस्सा कम मिला इस कारण यह वाद पेश किया गया है, जबकि वादी अपीलार्थी इस कम मिले रकबे से कतई असुतंष्ट नहीं था बल्कि इससे सहमत होकर इसका कारण स्पष्ट करते हुए आपसी विभाजन को वर्णित किया गया है और इस कम मिले रकबे को स्वीकार कर उसके बदले ग्राम रामपुरिया के सम्पूर्ण रकबे की प्राप्ति को वर्णित कर उसमे से रेस्पोडेण्ट का नाम हटाये जाने का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर घोर नहीं कर असली तथ्य को समझने में भूल करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सन् 1993 में हुए विभाजन को असमान करार से व्यथित अपीलार्थी वादी को मानने में कानूनी त्रुटि की है जबकि वादी अपीलार्थी इस विभाजन को असमान करार का परिणाम नहीं मानकर सहमति के विभाजन को स्वीकार करते हुए ग्राम रामपुरियॉ की आराजी से रेस्पोडेण्स का नाम हटाये जाने की घोषणा इसी मौखिक

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विभाजन के आधार पर चाही थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने समझने में गलती कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक विभाजन के प्रावधान को कानूनी एवं विधिसम्मत नहीं मानकर उस पर विश्वास नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है। **मौखिक विभाजन वर्ष 1993 में हुआ था तो तत्समय ही चाराजोही करनी चाहिये थी प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है का मौखिक विभाजन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।** अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में एस आई आर (एस सी) 1976 पेज 807, आर आर डी 2016 पेज 546 लीला देवी वगैरह बनाम मुन्नी लाल व अन्य, आर आर डी 2000 पेज 268 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि मौखिक विभाजन भी मान्य है। यह विवेचन अधीनस्थ न्यायालय का त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात के 1/6 हिस्से का खातेदार वादी अपीलार्थी को घोषित करते हुए रेस्पोडेण्ट का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का डिक्री पारित की जावे।

14. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

15. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं उपलब्ध साक्ष्य का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 1 जमाबंदी खतौनी संवत 2046 से 2049 ग्राम झाडोली में

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बालु, गोपी, हरला पिता नारायण के नाम संयुक्त रूप से कुल किता 15 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी खतौनी संवत 2046 से 2049 प्रदर्श 3 में बालू, गोपी,हरला पिता नाराण के खातेदारी हक में मौजा रामपुरिया उर्फ चौपडा में कुल किता 6 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा में से में से 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार अपीलार्थी/वादी बालु लाल, एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज गोपी एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 से 12 के पूर्वज हरला के संयुक्त खातेदारी की आराजियात थी। उक्त आराजियात पुश्तैनी होने से नारायण जी के तीनों पुत्रों का बराबर–बराबर हक हिस्सा होना प्रमाणित है। अपीलार्थी का कथन है कि पारिवारिक सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार ग्राम रामपुरिया उर्फ चोपडा की आराजियात में सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा जो करीब 7 बीघा 16 बिस्वा बनती है वह अपीलार्थी के हिस्से में रहकर ग्राम झाडोली में स्थित आराजियात में आराजी नम्बर 322, 424/1, 425/1, 427 व 430 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा अपीलार्थी के हिस्से में आई।

16. इसी प्रकार झाडोली की आराजियात में 15 बीघा 4 बिस्वा गोपी पिता नारायण के हिस्से मे व 12 बीघा 14 बिस्वा हरला पिता नारायण के हिस्से में विभाजन से आई। इस प्रकार सन् 1993 से अपीलार्थी व खातेदारान उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रेकार्ड में ऐच्छिक बंटवाडे से निांक 7.5.1993 को अपीलार्थी के नाम ग्राम झाडोली स्थित आराजी नम्बर 322, 424/1, 425/1, 427, 430 किता 5 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा तो अपीलार्थी /वादी के नाम नामान्तरकरण द्वारा दर्ज कर दिया गया । साथ ही गोपी पिता हरला के खाता संख्या 380 ग्राम झाडोली स्थित आराजी नम्बर 230, 228/1, 292/1, 249, 285/2, 389,

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10, 424/3, 435/3, 438/2, 462 कुल किता 11 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा का ऐच्छिक बंटवाडे से उसी नामान्तरकरण से दर्ज रेकार्ड किया गया । एवं हरला पिता नारायण अहीर के हिस्से में ग्राम झाडोली की आराजी नम्बर 196, 228/2, 292/2, 285/1, 319/1, 320/1, 424/2 किता 7 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा नामान्तरकरण भी इसी क्रमांक से ग्राम झाडोली में ऐच्छिक बंटवाडे से दर्ज की गई।

17. इस प्रकार ग्राम झाडोली आराजी नम्बर 322, 424/1, 425/1, 427 व 430 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा अपीलार्थी के हिस्से ही दर्ज रेकार्ड की गई। जबकि आपसी पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार अपीलार्थी/वादी के हक हिस्से में ग्राम झाडोली की कुल आराजी किता 15 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा में से मात्र 3 बीघा 15 बिस्वा ही अपीलार्थी/वादी के नाम ऐच्छिक बंटवाडे से दर्ज की गई। शेष रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा का विभाजन गोपी व हरला के मध्य कर दिया गया । रामपुरिया की आराजी नम्बर 81, 83, 84, 88, 90, 74 कुल किता 6 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा का 1/6 हिस्सा वादी के नाम दर्ज नहीं की जाकर उक्त 7 बीघा 13 बिस्वा का भी नारायण के वारिसान बालु,गोपी, हरला के मध्य समान रूप से विभाजित कर राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 8 जमाबंदी संवत 2073 से 2073 में दर्ज रेकार्ड किया गया है। जबकि उक्त सम्पूर्ण रकबा अकेले अपीलार्थी/वादी के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। जो नहीं की गई है।

18. अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र ऐच्छिक बंटवाडे से अपीलार्थी/वादी के हिस्से में मात्र ग्राम झाडोली स्थित आराजी नम्बर 322, 424/1, 425/1, 427, 430 किता 5 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा नामान्तरकरण पंजिका में दर्ज होना

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सहमति से मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संदर्भित न्यायिक उद्धरण में भी मौखिक विभाजन को मान्यता प्रदान की है और उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं माना है। नारायण के तीनों वारिसान के मध्य समान रूप से वादग्रस्त आराजियात ग्राम झाडोली एवं रामपुरिया उर्फ चौपडा का कुल रकबा जो नारायण के वारिसान के हिस्से में था में बालु, गोपी एवं हरला के मध्य समान रूप से दर्ज होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। ग्राम रामपुरिया उर्फ चौपडा स्थित आराजियात कुल किता 6 रकबा 46 बींघा 18 बिस्वा का 1/6 हिस्से का अपीलार्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना तथा प्रत्यर्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाना उचित समझते हैं।

19. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 212.7.2017 को निरस्त किया जाता है एवं मौजा रामपुरिया उर्फ चौपडा स्थित आराजी नम्बर 81 रकबा 4.14, आराजी नम्बर 83 रकबा 2.15, आराजी नम्बर 84 रकबा 0.16, आराजी नम्बर 88 रकबा 7.06, आराजी नम्बर 90 रकबा 27.17, आराजी नम्बर 94 रकबा 3.10 कुल किता 6 कुल रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा में से 1/6 हिस्से का अपीलार्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी/वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार से

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

20. निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 333 / 2017

उनवान

1. बालु पिता नारायण अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मोडा पिता गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. ज्वारा पिता गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. सॉवरिया उर्फ सॉवरा पिता गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. प्यारी बेवा गोपी अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. मांगी लाल पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. सूरजमल पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
7. रमेश पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
8. शांति पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
9. छोटी पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
10. धापू पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
11. धन्नी पिता हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

12.सरजु बेवा हरला अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 48/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.2.2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/333/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः—

यह अपील तारीख 10.02.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर सी सारस्वत वकील एवं प्रत्यर्थी गण की अनुपस्थिति एवं राजकीय अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सोनी उपस्थिति मे दिनांक 10.02.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2017 को निरस्त किया जाता है एवं मौजा रामपुरिया उर्फ चौपडा स्थित आराजी नम्बर 81 रकबा 4.14, आराजी नम्बर 83 रकबा 2.15, आराजी नम्बर 84 रकबा 0.16, आराजी नम्बर 88 रकबा 7.06, आराजी नम्बर 90 रकबा 27.17, आराजी नम्बर 94 रकबा 3.10 कुल किता 6 कुल रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा में से 1/6 हिस्से का अपीलार्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी/वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

इस अपील कें खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.10 19:38:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: